<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01 बयाना जिला भरतपुर (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारीः- सोनाली प्रशांत शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
विविध फौजदारी प्रकरण सं.:44/2026
सीआईएस नम्बरः 81/2026

1-जीतराम आयु 22 साल पुत्र अमर सिंह
2-बीरसिंह आयु 25 साल पुत्र यादराम
निवासी कारवारी थाना सदर, बयाना जिला भरतपुर
----प्रार्थीगण-अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बयाना
----अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 28/2026 पुलिस थाना सदर बयाना अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 118(2), 324(4), 3(5) बीएनएस

उपस्थितः
1. सर्वश्री हंसराम गुर्जर, पप्पूराम धाकड अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी-अभियुक्त।
2. श्री ओ.पी.तिवारी, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
3. सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा, अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

:आदेशः

दिनांक 11.03.2026

1. प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बीएनएसएस के तहत जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है उनका इस मामले से किसी प्रकार का कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है। उनकी धारा 480 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत दरख्वास्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्तगण ने परिवादी के लडका अभय सिंह के साथ कोई

मारपीट नहीं की और ना ही 5,30,000/-रुपये व एक ब्रैसलेट चांदी व सोने की जंजीर को नहीं छीना। प्रार्थी-अभियुक्त वक्त घटना मौजूद नहीं थे। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्व ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो, आरोपित अपराध में अन्वीक्षा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की जानी है। सभी गवाहान हितबद्व है, जिनको टैम्परविद किये जाने की कोई संभावना नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की बहस की।

3. तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से हैं कि परिवादी रुकम सिंह ने थाना बयाना पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 29.01.2026 को सांय करीब 7.00 बजे की बात है उसका लडका अभय सिंह उसके गांव कारवारी में भवन निर्माण करा रहा था जिसके पास 5,30,000/-रुपये बैग में रखे थे तथा वह एक ब्रैसलेट चांदी वजनी करीब 100 ग्राम तथा गले में पहनी सोने की जंजीर करीब 02 तोला तथा पर्स में 300/-रुपये नगद अलग से रखे हुए थे। वह उस समय छत के लिए सरिया, बजरी, कंकरीट व सीमेंट खरीदने हेतु कारबारी बस स्टैंड पर खडा था तो अचानक 06 व्यक्ति तीन मोटर साईकिल पर घात लगाकर पहले से ही खडे हुए और अचानक उसके लडके अभय सिंह को सरिया की रौड व लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया उसके पैर, हाथ, सिर में गंभीर रुप से चोटें आई है। जिसे बयाना से भरतपुर रैफर कर दिया है उन व्यक्तियों में से जीतराम पुत्र अमर सिंह, वीर सिंह पुत्र यादराम, शेरसिंह पुत्र यादराम, खुशीराम पुत्र यादराम निवासी कारबारी थाना बयाना सदर ने उसके लडके के पास रखे बैग में से 5,30,000/-रुपये मय बैग मय ब्रैसलेट चांदी व जंजीर सोने को बनियत चोरी छिनाकर ले गये तथा उसके लडके अभय सिंह की मोटर साईकिल को लोहे की रौडों से तोड गये है। जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफतीश प्रारंभ की गई।

5. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि यद्यपि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्व हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है लेकिन हस्तगत में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पर परिवादी रुकमसिंह के लडके अभय सिंह को उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा

में जाने का उसको विधि पूर्ण अधिकार था और उसके साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी उसके साथ भोटे हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण एवं गंभीर उपहति तथा धारदार हथियार से गंभीर उपहति कारित की और मजरुब अभय सिंह की मोटर साईकिल में तोडफोड कर रिष्टी कारित कर बीस हजार रुपये से अधिक का नुकसान कारित करने से अभियुक्तगण के विरुद्व धारा 115 (2), 126(2), 117 (2), 118(2), 324 (4), 3(5) बीएनएस के अपराध के आरोप है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्व गंभीर प्रकृति के आरोप है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण 1-जीतराम आयु 22 साल पुत्र अमरसिंह 2-बीरसिंह आयु 25 साल पुत्र यादराम निवासीयान कारवारी पुलिस थाना सदर, बयाना जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनाली प्रशांत शर्मा)

7. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनाली प्रशांत शर्मा)